रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 424] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1977/पौष 10, 1899
No. 424] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1977/PAUSA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December 1977

G.S.R. 798 (E).—The following Proclamation by the President is published for general information.

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, have received a report from the Governor of the State of Karnataka and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation namely —

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be

lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State,

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India.

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

article 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto;

article 185;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

so much of article 188 as relates to a member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive),

clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the function and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, article 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and

paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the Mysore General Clauses Act, 1899 (Mysore Act No. III of 1899) and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) as applies to State Laws, shall have effect in relation to any such Act or Law as if it were an Act of the Legislature of the State

NEELAM SANJIVA REDDY,
President.

NEW DELHI;
The 31st December, 1977.

[No. F. V/11013/33/77-S&P(DV)]

T C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

NEW DELHI;
The 31st December, 1977.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 798(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :—

यतः मुझे, भारत के राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेड्डी को कर्नाटक राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त इस रिपोर्ट और अन्य सूचना पर विचार करने के बाद मेरा समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमे कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इसमे इसके पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के उपबन्धो के अनुसार नही चलाया जा सकता है ;

अतः अब मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं .—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप मे स्वयं सम्भालता हूं ;

(ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हू जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यो को प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते है, अर्थात्—

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार पर मेरे द्वारा सम्भाले गए कृत्यों और शक्तियो का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप मे उस सीमा तक जिस तक कि मै ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम मे कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उक्त राज्य के सम्बन्ध मे सविधान के निम्नलिखित उपबन्धो के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् .—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निदेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनो को राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 का खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध मंत्रियों के बीच राज्य सरकार के काम के आवटन से है ;

अनुच्छेद 167 ;

अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा सकल्प को पारित करने से है ;

अनुच्छेद 174 का खण्ड (1) और खण्ड (2) का उप-खंड (क) ;

अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमे ये दोनो सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 179 के खण्ड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक ,

अनुच्छेद 180, 181 और 182, अनुच्छेद 183 का खण्ड (ग) और उसका परन्तुक ;

अनुच्छेद 185 ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तो से है ;

अनुच्छेद 188 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के सदस्य से है ;

अनुच्छेद 189, 193 और 194 ;

अनुच्छेद 195 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के सदस्यों के वेतनो और भत्तो से है ;

अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिसमे ये दोनों सम्मिलित हैं) ;

अनुच्छेद 199 के खण्ड (3) और (4) ;

अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तों से है,

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित है),

अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) का परन्तुक और खण्ड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खण्ड (2) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्द्वारा भंग की जाती है,

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मण्डल या उसके सदनों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमश: राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित है), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित है) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी,

(v) संविधान में उस राज्य के विधान मण्डल के या एतद्द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है और मैसूर साधारण खण्ड अधिनियम 1899 (1899 का मैसूर अधिनियम–2) और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10वां) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो वह यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,
31 दिसम्बर, 1977

नीलम संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति।

[सं० फा० 5/11013/33/77–एस० एंड पी० (डी०–5)]

नई दिल्ली,
31 दिसम्बर 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव।

ORDER

New Delhi, the 31st December 1977

G.S.R. 799(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 31st day of December 1977 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Karnataka and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that the State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

NEW DELHI,
The 31st December, 1977

NEELAM SANJIVA REDDY,
President

[No. F V/11013/33/77-S&P(DV)]
T C A SRINIVASAVARADAN, Secy

NEW DELHI
The 31st December, 1977

आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1977

सा० का० नि० 799(अ)—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है —

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिसम्बर 1977 के 31वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) का अनुसरण करते हुए एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि कर्नाटक राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर स्वयं सम्भाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

नई दिल्ली,
31 दिसम्बर, 1977

नीलम संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 5/11013/33/77-एस० ए० पी० (डी०-5)]

नई दिल्ली,
31 दिसम्बर, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय मिन्टो रोड नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1977